स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

"सुगंधभवन", एन एच बाई पास,

पालारिवट्टम पी ओ, कोच्ची-682025

फोन: 0484-2333610 से 16 तक

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाताओं (विपणन व निर्यात संवर्धन) को काम में लगाना

स्पाइसेस बोर्ड, सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों, जिन्होंने केंद्रीय/राज्य सरकारी संस्थाओं, नामतः विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/वस्तु बोर्डों के अधीन 8-10,11,12-13 के वेतन स्तरों में सेवा की हैं, उनसे, एक साल की अवधि केलिए, आगे अगले दो सालों केलिए बढ़ाई जा सकती है, **विपणन व निर्यात संवर्धन** हेतु परामर्शदाता के रूप में कार्य करने केलिए आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को स्पाइसेस बोर्ड के निजामाबाद (तेलंगाना), ऊंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, श्रीनगर (संघ शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर) तथा गुंटूर(आंध्र प्रदेश) के प्रादेशिक कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। परामर्शदाता के कार्यों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। परामर्शदाताओं को काम में लगाने के विस्तृत निबंधन व शर्तें, अनुबंध-2 के रूप में संलग्न किए जाते हैं:

1	अपेक्षित परामर्शदाता	सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी - पाँच नग*, निजामाबाद (तेलंगाना), ऊंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, श्रीनगर (संघ शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर) तथा गुंटूर(आंध्र प्रदेश) के प्रादेशिक कार्यालयों में एक-एक (* स्पाइसेस बोर्ड, उपरोक्त श्रेणियों में सूचित परामर्शदाताओं की संख्या में परिवर्तन लाने का अधिकार रखता है।)
2	पात्रता	
	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिन्होंने मसालों के विपणन या मसालों / बागान फसलों / कृषि वस्तुओं के निर्यात संवर्धन या मसाला विस्तार क्रियाकलापों में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव के साथ किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकरी सेवा में, नामतः विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / वस्तु बोर्डों में सेवा की है । क) 4800/- रुपए से 5400/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य, वेतन मेट्रिक्स के वेतन लेवल 8-10 में या ख) 6600/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य, वेतन मेट्रिक्स के लेवल 11 में या ग) 7600/-** रुपए तक ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य,	

	वेतन मेट्रिक्स के लेवल 12 व 13 में (**स्पाइसेस बोर्ड, उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वेतन लेवल के अंतर्गत सलाहकारों की संख्या का निर्णय करने का अधिकार रखता है।) **उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो स्थानीय भाषा जानते हैं।** उम्मीदवारों को विषयों की गहराई से जांच करने की अच्छी सूझ-बूझ के साथ प्रभावी संप्रेषण और अंतर-वैयक्तिक कौशल होना चाहिए	
	शैक्षिक योग्यता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री
	आयु सीमा	जैसेकि आवेदन की अंतिम तारीख को है, 65 वर्ष से कम हो
3	असाइनमेंट का स्थान	बोर्ड के निजामाबाद (तेलंगाना), ऊंझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, श्रीनगर (संघ शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर) तथा गुंटूर(आंध्र प्रदेश) प्रादेशिक कार्यालयों में
4	पारिश्रमिक	वेतन मेट्रिक्स के वेतन लेवल 8-10 में :40,000/- प्रति माह
		वेतन मेट्रिक्स के वेतन लेवल 11 में : 50,000/- प्रति माह
		वेतन मेट्रिक्स के वेतन लेवल 12 व 13 में :60,000/- प्रति माह

चयन का तरीका :

- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- अंकों का वेटेज: क्षेत्र का अनुभव, योग्यता और समझ- 50 अंक, साक्षात्कार और प्रस्तुतीकरण- 50 अंक।
- लिखित परीक्षा / साक्षात्कार से पहले शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पूर्व सूचना देकर, स्पाइसेस बोर्ड, यहाँ दिए गए वेटेज अंक को संशोधित करने का अधिकार रखता है।
- साक्षात्कार में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार परामर्शदाता के रूप में काम पर लगाया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्ष होगी और परामर्शदाता, अतिरिक्त अपेक्षित, को अनुमोदित पैनल से काम पर लगाया जाएगा।

उम्मीदवारों केलिए अनुदेश :

- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिनके पास उपरोक्त योग्यता और अनुभव हो, अच्छे स्वास्थ्य के अधिकारी हो और तुरंत कार्यभार ग्रहण करने में इच्छुक हो, वे दिए गए फॉर्मेट (अनुबंध 3) में, योग्यता और अनुभव के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ, अपने **आवेदन 25 जून,**

2021 को या उससे पहले hrdatp.sb-ker@gov.in में प्रस्तुत करें। आवेदन की हार्डकॉपी सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को **30 जून, 2021** को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है।

- आवेदन, जो समर्थक दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित प्रपत्र, अर्थात् अधिसूचना के अनुबंध-3 के अनुसार, में प्राप्त नहीं होता, उसपर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार आवेदन, निम्न क्रम में एक सिंगल पीडीएफ़ संलग्नक के रूप में भेजें (क) अनुबंध-3 (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (कालक्रमानुसार) (ग) पहचान प्रमाण (घ) अनुभव प्रमाणपत्र (ङ) संगत दस्तावेज़, यदि है तो ।
- इ-मेइल द्वारा प्राप्त आवेदनों की पावती, यदि सही क्रम में है तो, कार्य दिवस पर सायं 5.00 बजे से 5.30 बजे के बीच भेजी जाएगी।
- उम्मीदवारों को, अद्यतन सूचना हेतु बोर्ड की औद्योगिक वेबसाइट www.indianspices.com में अधिसूचना/अवसर पेज नियमित रूप से जांच करने और किसी तीसरी पार्टी की वेबसाइट पर भरोसा न करने की सलाह दी जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत साक्षात्कार चलाई जाएगी।

9 जून, 2021 **निदेशक(प्रशासन)**

कोच्ची - 25 **स्पाइसेस बोर्ड**

अनुबंध-1

कार्य विवरण

1. क्षेत्र से मसालों के निर्यात में बढ़ावा देने और निर्यात के लिए उत्पादित मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, साथ ही इलायची (छोटी और बड़ी) के घरेलू विपणन के लिए, बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय, राज्य सरकार के प्राधिकरणों, उत्पादकों, व्यापारियों / निर्यातकों के साथ समन्वय करना। ।
2. राज्य जैविक मिशन, अन्य वस्तु बोर्ड, राज्य बागवानी और अन्य समान विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों, सीमा शुल्क, डीजीएफ़टी, ईसीजीसी आदि जैसे केंद्र सरकारी एजेंसियों, निर्यातक संघ एवं ट्रेड चेंबर्स(आईसीसी, एफ़आईसीसीआई, एफ़आईएनईआर, असोचम, सीआईएल, पीएचडी आदि), इस क्षेत्र के पंजीकृत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीयों के साथ मिलकर काम करना है और उन्हें आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल करना है ।
3. निर्यात के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक समूहों, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं, अन्य पणधारियों के साथ समन्वय करना।
4. क्षेत्र में मसाला निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क का आयोजन करना। क्षेत्र में मसाला सेक्टर के पणधारियों के साथ लगातार संपर्क में रहना और मुद्दों के समाधान करने के लिए तंत्र तैयार करना।
5. निर्यातकों / फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीयों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मसालों के निर्यात के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन और आयोजन करना और क्षेत्र में निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. नए निर्यातकों, ग्रामीण क्षेत्र के निर्यातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े निर्यातकों केलिए अध्ययन दौरों, खासकर मसाला पार्क, मसाला बढ़ाए जानेवाले प्रमुख स्थानों सीएफ़टीआरआई, आईआईपी, आईआईएसआर, एनआरसीएसएस आदि अनुसंधान व विकास संस्थाओं को, का आयोजन करना
7. निर्यात केलिए तकनोलजी अंतरण हेतु प्रौद्योगिकी विकास संस्थानों के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र में बढ़ाए जाने वाले मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्र तैयार करना
8. सरकारी सुविधाओं / योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य सरकार से संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं के परिवहन के लिए तथा पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतित वैन जैसी अवसंरचना सुविधाओं की तैयारी के लिए निर्यातक / लॉजिस्टिक प्रदाताओं के साथ संपर्क करना
9. राज्य नोडल एजेंसी के सहयोग से कृषि निर्यात नीति (AEP) के तहत क्षेत्र में पहचाने गए मसालों के समूहों की गतिविधियों की निगरानी का समन्वय करना
10. क्षेत्र के मसालों में टैग किए जीआई (भौगोलिक संकेत) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तंत्रों का विकास करना

11. बाजार संबंध स्थापित करने में एफपीसी और निर्यातकों को सहायता प्रदान करना।

12. क्षेत्र में निर्यातकों के बीच बोर्ड की योजनाओं को लोकप्रिय बनाना। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात में मसालों की गुणवत्ता को उजागर करने के उद्देश्य से प्रचार अभियानों की रूपरेखा तैयार करना और अभियान प्रारंभ करना।

13.निम्नलिखित पर जानकारी संकलित करके एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना:

   क) क्षेत्र में मसाले प्रसंस्करण / मूल्य संवर्धन / पैकेजिंग आदि के लिए मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं की सूची

   ख) डब्ल्यूटीओ, आईटीसी और अन्य प्रामाणिक वेबसाइटों से इस क्षेत्र में उगाए गए मसालों के लिए व्यापार की जानकारी जैसेकि प्रमुख निर्यातक देश, प्रमुख आयातक देश, टैरिफ बैरियर, नॉन-टैरिफ बैरियर आदि ।

   ग) प्रमुख मसालों के व्यापार / बाजार की जानकारी जैसेकि साप्ताहिक / पाक्षिक के अंतराल में क्षेत्र में प्रमुख सम्मेलन केंद्रों / एपीएमसी बाजारों से बाजार की आवक, किस्में / ग्रेड, मूल्य आदि।

   घ) लाभार्थियों की सूची के साथ क्षेत्र में केंद्रीय / राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित बाजार / निर्यात संवर्धन हेतु क्षेत्र में मसालों के विकास के लिए योजनाएं

   ङ) क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के निर्यात में कटाई पश्चात् संचालन / गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे / चुनौतियां और उपचारात्मक उपाय सुझाना

   च) क्षेत्र में संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में एफपीसी / किसान समूहों (प्रत्येक मसाले के लिए) की सूची

   छ) क्षेत्र में मसालों के प्रमाणित जैविक उत्पादन करने वाले एफपीसी / किसान समूह

14. नए उद्यमियों/निर्यातकों के संदर्भ/उपयोग के लिए इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के लिए मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ (स्पाइस पाउडर, मसाला पाउडर, उपभोक्ता पैक में साबुत मसाले, मसाला तेल / मसाला तैलीराल आदि) स्थापित करने के लिए बैंक-स्वीकार्य परियोजना तैयार करना।

15. बोर्ड के मसाला पार्कों और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग करने के लिए आवश्यक कदमों को लागू करना।

16. स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय / प्रादेशिक कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य

****

अनुबंध-2

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता को काम में लगाने हेतु निबंधन व शर्तें

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामले में, कुल मासिक पारिश्रमिक और परामर्शदाता द्वारा ली गई पेंशन, उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन, जिसकी गणना महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों पर की गई हो, से अधिक नहीं होगी।
2. काम में लगाने की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष केलिए होगी और उनके निष्पादन के आधार पर अपेक्षा के अनुसार आगे दो वर्ष केलिए बढ़ाई जा सकती है।
3. परामर्शदाता, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, असाइनमेंट में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिरभी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होगी तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी केलिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
5. कार्य समय: परामर्शदाता निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।
6. पेंशन का आहरण: परामर्शदाता के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता के रूप में उसकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन के मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
7. अवकाश: परामर्शदाता एक कलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर, आठ(08) दिनों के अवकाश केलिए पात्र होंगे। परामर्शदाताओं को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
8. स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. परामर्श-कार्य की अवधि के दौरान, पदाधिकारी को, समय-समय पर, बोर्ड द्वारा सौंपे गए, बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य-मदों को देखना अपेक्षित है।
10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने असाइनमेंट की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।
11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति की समाप्ति

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित शर्तों पर परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त करेगा :

(i) परामर्शदाता निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है;

(ii) कार्य की गुणवत्ता, बोर्ड की संतुष्टि के बराबर नहीं है।

(iii) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति में परामर्शदाता असफल रहता है;

(iv) परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।

नोट: बोर्ड, परामर्शदाता को पंद्रह दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

अनुबंध-3

स्पाइसेस बोर्ड, बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग) में परामर्शदाताओं (विपणन व निर्यात संवर्धन) के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी प्रदाधिकारियों को काम में लगाना केलिए आवेदन प्रपत्र

हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

1	आवेदित पद का नाम		
2	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
3	पिता/पति का नाम		
4	जन्म तिथि		
5	संपर्क विवरण	मोबाइल नं: / टेली. नं. :	
		इ-मेल पता :	
6	पत्र-व्यवहार के लिए पता		
		पिन कोड:	
7	आयु, जैसे कि आवेदन की अंतिम तारीख को है		
8	शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।)		
9	अनुभव और उपलब्धियां (समर्थक दस्तावेज़ के साथ विवरण)		
10	सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने की तारीख		
11	सेवानिवृत्ति की तारीख		
12	पदनाम और कार्यालय जिसमें से सेवानिवृत्त हुए		

13	अंतिम आहरित वेतन	
14	पीपीओ नं. (कृपया पीपीओ की प्रति संलग्न करें)	
15	मासिक पेंशन	
16	कंप्यूटर की जानकारी का विवरण	
17	एक अलग शीट में नीचे दिए प्रारूप में अनुभव का संक्षिप्त विवरण - पद वार (कृपया समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	

क्रम संख्या	पद और कार्यालय जहां पर सेवा प्रदान की है।	विभाग/अनुभाग	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
			.... से	.... तक		

18	नियुक्ति की वरीयता (सौंपे गए कार्य के स्थान के लिए पहले पृष्ठ पर क्रम संख्या 3 देखें)		स्थान
		वरीयता 1	
		वरीयता 2	
		वरीयता 3	
		वरीयता 4	
		वरीयता 5	
		वरीयता 6	
		वरीयता 7	

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं समझता हूं और सहमत हूं कि चयन या साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय ऊपर दी गई किसी भी जानकारी के झूठी या गलत / अपूर्ण या अयोग्यता का पता लगाए जाने पर, मेरी उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के लिए बाध्य है और मैं स्पाइसेस बोर्ड के इस निर्णय से बाध्य रहूँगा। मैं ने ऊपर दिए गए सभी निबंधन और शर्तें पढ़ ली हैं और मैं परामर्शदाता के काम के सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

हस्ताक्षर:

(आवेदक का पूरा नाम):

स्थान :

दिनांक: